रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2012/माघ 25, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 283
No. 26] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2012/MAGHA 25, 1933 [N.C.T.D. No. 283

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

फा. सं. आईपीवी/जेआर(सी)/बीओएम-47/2011/378.—गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसरण में विश्वविद्यालय प्रबन्धन बोर्ड की दिनांक 05•07•2011 की 47 वीं बैठक में एजेण्डा मद संख्या 47•10 के परिणामस्वरूप इसके द्वारा अध्यादेश संख्या 28—गैर अध्यापन कर्मचारियों की पदोन्नति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या फां• 2(26)/ साधारण/आईपीयू/2004/2557 दिनांक 20•12•2005 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करते हैं ।

विद्यमान	संशोधिन
3 सभी पदोन्नतियां 'चयन' पद्धति द्वारा की जानी होती हैं । चयनात्मकता का घटक खण्ड 8•1 एवं 8•2 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित सम्बन्धित निर्देश चिन्ह्रों के सन्दर्भ में ज्ञात किया जाएगा ।	3 सभी पदोन्नतियां 'चयन' पद्धति द्वारा की जाएगी । चयनात्मकता का घटक खण्ड 8•1 एवं 8•2 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित सम्बन्धित निर्देश चिन्ह्रों के सन्दर्भ में ज्ञात किया जाएगा और अनुभाग अधिकारी (तथा समकक्ष) और अधिक के चयन पद के लिये एक साक्षात्कार बाद में किया जाएगा ।
8•1 सहायक कुल सचिव और अधिक के ग्रेड की पदोन्नति के लिये	8•1 **अनुभाग अधिकारी (तथा समकक्ष)** और अधिक के ग्रेड की पदोन्नति के लिये

(iii) पेनल में से नियुक्तियां पदोन्नति के पेनल में उल्लिखित नामों के क्रम में से की जाएंगी ।	**(iii)** पेनल में से नियुक्तियां साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से की जाएंगी और उनका वरिष्ठताक्रम पदोन्नति के पेनल में उल्लिखित नामों के, क्रम के आधार पर बनाया जाएगा ।
8•2 <u>सहायक कुल सचिव के स्तर से कम समस्त पदों की पदोन्नति के लिये</u>	8•2 <u>**अनुभाग अधिकारी (तथा समकक्ष)** के स्तर के कम समस्त पदों की पदोन्नति के लिये</u>

अध्यादेश में उक्त संशोधन प्रबन्धन बोर्ड द्वारा इसके अनुमोदन की तिथि अर्थात् 05 जुलाई, 2011 से प्रवृत्त होंगे ।

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATIONS

Delhi, the 14th February, 2012

F. No. IPV/JR(C)/BOM-47/2011/378.—In pursuance of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (9 of 1998), the Board of Management of the University hereby makes partial amendments in Notification No.F.2(26)/Ord/IPU/2004/2557 dated 20.12.2005 relating to Ordinance – 28: Procedure to be observed for promotions of non-teaching staff as detailed below consequent upon resolution of Board of Management vide agenda item No.47.10 in its 47th meeting held on 05.07.2011:

Existing	Amended
3. All promotions are to be made by method of "Selection". The element of selectivity shall be determined with reference to the relevant Benchmarks prescribed for promotion as per provision in clause 8.1 & 8.2.	3. All promotions are to be made by method of "Selection". The element of selectivity shall be determined with reference to the relevant Benchmarks prescribed for promotion as per provision in clause 8.1 & 8.2; **and followed by an interview for the post of Section Officer (and equivalent) and above.**
8. 1 <u>For Promotion to grade of Assistant Registrar and above</u>	8. 1 <u>For Promotion to grade of **Section Officer (and equivalent)** and above</u>
(iii) Appointments from the panel shall be made in the order of names appearing in the panel for promotion.	(iii) Appointments from the panel shall be made **through the process of interview and their seniority will be maintained** in the order of names appearing in the panel for promotion.
8.2 <u>For Promotion to all posts below the level of Assistant Registrar</u>	8.2 <u>For Promotion to all posts below the level of **Section Officer(and equivalent)**</u>

The above amendment in the Ordinance shall come into force w.e.f. the date of its approval by the Board of Management i.e., 05th July, 2011.